प्रशासन एवं सूचना प्रौद्योगिकी

5. प्रशासन एवं सूचना प्रौद्योगिकी

5.1 प्रस्तावना

प्रशासन निदेशालय मुख्य रूप से प्रशासनिक संरचना तैयार करने और अनुरक्षित करने के लिए उत्तरदायी है जिसके अंतर्गत भा.वा.अ.शि.प. के अन्य क्रियाकलाप सम्पादित किए जाते हैं। निदेशालय के क्रियाकलाप इस प्रकार हैं– बजट बनाना, लेखा, धन का आहरण एवं वितरण, पेंशन संबंधी मामले, भा.वा.अ.शि.प. के भर्ती बोर्ड द्वारा वैज्ञानिकों की भर्ती अन्य मानवीय संसाधन संविदा आधार पर उपलब्ध कराना, विभिन्न प्रापण तथा सभी संस्थानों और भा.वा.अ.शि.प. में सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित सेवाएं। प्रभाग के मुख्य क्रियाकलाप का सारांश इस प्रकार हैं :

5.1.1 ई–गवरनेंस क्रियाकलाप

भारतीय वानिकी अनुसन्धान एवं शिक्षा परिषद् ने सू.प्रौ. संरचना तथा क्षमतावृद्धि के कार्य के संदर्भ में पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा परिकल्पित ई–गवरनेंस को कार्यान्वित करने में अग्रता प्राप्त की है। पी सी का उपयोग भा.वा.अ.शि.प. मुख्यालय में निम्न श्रेणी लिपिक स्तर पर शुरू कर दिया गया है।

उपर्युक्त के साथ–साथ इस दिशा में किए गए अन्य प्रयास :

- भारतीय वानिकी अनुसन्धान तथा सूचना पद्धति (आई एफ आर आई एस) का विकास।
- भा.वा.अ.शि.प. सर्वर फार्म (डाटा केंद्र) की स्थापना।
- भारत सरकार की परियोजना के तहत भा.वा.अ.शि.प. का राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क के साथ समेकन।
- एन एम ई आई आई सी टी व्यवस्थाओं के तहत वन अनुसन्धान संस्थान के स्थानीय नेटवर्क का उच्चीकरण एवं विस्तार।

5.1.2 आई एफ आर आई एस (इफरिस) का विकास

भारतीय वानिकी अनुसन्धान एवं सूचना पद्धति की अवधारणा निम्नलिखित उद्देश्य सहित वृहत सूचना प्रौद्योगिकी संसाधनों को कार्यान्वित करने के लिए की गई है।

- वर्तमान कार्य मैनुअल पद्धति को स्वचलित पद्धतियों में परिवर्तित करना।
- सेवाओं की पहुंच क्षमता, पारदर्शिता और उत्तरदायित्व में सुधार करना।
- कार्य प्रवाही स्वचालन तथा ज्ञान प्रबंधन के जरिए भा.वा.अ.शि.प. के उत्तरदायित्व को बढ़ाना।
- भा.वा.अ.शि.प. द्वारा दी गई सूचनाओं और सेवाओं को उपभोक्ताओं, हितधारकों की पहुंच में लाना और सुगम बनाना।

आई एफ आर आई एस के दो मुख्य भाग हैं, अर्थात : भारतीय वानिकी अनुसन्धान प्रबंधन सूचना पद्धति (आई एफ आर आई एम एस) तथा भारतीय वानिकी अनुसन्धान प्रशासन सूचना पद्धति (आई एफ आर ए आई एस)। कुछ मुख्य अनुसन्धान वेब वाली सेवाएं तथा रिकार्ड निम्नलिखित है :

- अनुसन्धान परियोजना डाटाबेस (जारी/पूर्ण) बाहय निधि प्राप्त योजनाओं सहित।
- अनुदान एवं अनुसन्धान प्रस्ताव।
- सूचना/रिपोर्टों तक भूमिका के अनुसार पहुंच।
- अनुसन्धान रिपोर्टों का डाउनलोड करने योग्य सारांश।
- निजी सूचना, वेतन रोल तथा वित्तीय लेखा पद्धति।
- केंद्रीकृत डाटा रिपोजिट्री पर सूचनाओं का सही वक्त पर उपलब्ध हो जाना।
- सम्पर्क सूची के साथ ई–मेलिंग तथा संदेश पद्धति।
- समाचार, घटना और कलेंडर कार्यक्रम।
- निविदा सूचनाएं तथा कार्यालय आदेश।
- प्रतिपुष्टि/शिकायत निवारण तथा लेखा परीक्षण।

परियोजना संस्थानिक संरचना, एक प्रभावशाली माध्यम बन गया है जहां संस्थान की शीर्ष समितियों की, बैठकें, तकनीकी समिति की बैठकें तथा भा.वा.अ.शि.प. की शीर्ष समितियों की बैठकों का आयोजन नियमित रूप से किया जाता है जिनमें संबंधित हितधारकों की आकांक्षाओं और समस्याओं को उजागर किया जाता है।

आई एफ आर आई एस (इफरिस) ने निम्नलिखित मुख्य उपलब्धियां प्राप्त की हैं :

- अवधारणा नोट्स की संग्राहिका और परियोजना विस्तार में 2009 में करीब 353 परियोजनाएं हैं और 2011–12 में 134 परियोजनाएं और शामिल की गई हैं।
- कर्मचारी स्वयं सेवा पोर्टल में 2100 कर्मचारियों का आंकड़ा है। 1630 कर्मचारियों ने 2011–12 में 16090 छुट्टियां ली।

- इलेक्ट्रानिक प्रलेख प्रबंधन पद्धति (ई डी एम एस) में करीब 5861 अंकीकृत प्रलेख उपलब्ध हैं।

भा.वा.अ.शि.प. की आंतरिक टीम द्वारा आई एफ आई आर आई एस में मॉडल के अनुरूप निम्नलिखित नए तथ्य जोड़े हैं :

कार्मिक सूचना प्रबंधन पद्धति

- पी आई एम एस में पितृत्व, मातृत्व, ई ओ एल, शिशु देखभाल छुट्टी और स्टेशन लीव जोड़े गए हैं जबकि पहले सी एल, एच पी एल, आर एच तथा अर्जित अवकाश के ही विकल्प उपलब्ध थे। पितृत्व, मातृत्व, ई ओ एल, शिशु देखभाल छुट्टी और स्टेशन लीव को इसलिए जोड़ा गया ताकि कर्मचारी अधिकांश छुट्टियों के लिए आनलाइन आवेदन कर सकें।
- छुट्टी का विस्तार अब पी आई एम एस में छुट्टी का विस्तार अंगीकृत कर दिया गया है। सिस्टम द्वारा छुट्टियां विस्तार के अंतराल पर ध्यान दिया जा रहा है।
- प्रस्थान एवं कार्यग्रहण सुविधाओं को जोड़ना : प्रस्थान एवं कार्यग्रहण रिपोर्ट सुविधाओं को जोड़ा गया है।
- कर्मचारियों की अवकाश रिपोर्ट संस्थानों वार : किसी संस्थान के कर्मचारियों द्वारा किन्ही खास तारीखों में ली गई छुट्टियों का विवरण।
- वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट अपलोडिंग डाउनलोडिंग सुविधा : पी आई एम एस से वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट को अपलोड और डाउनलोड किया जा सकता है। यदि अपलोड की गई हो तो कर्मचारी अपनी ए सी आर को पी आई एम एस एकाउंट से देख सकते हैं।
- पे–स्लिप : कर्मचारी किसी भी महीने की अपनी पे–स्लिप को अपने पी आई एम एस एकाउंट से देख सकते हैं।
- अर्द्धवार्षिक गणना तथा वर्ष के अंत की मैपिंग : अर्द्धवार्षिक गणना तथा वर्ष के अंत की मैपिंग परिवर्तित की गई है। अब मैपिंग नियम के अनुसार सभी छुट्टियों को एक किल्क के साथ अद्यतन किया जा सकता है।

पे – रोल प्रबंधन सिस्टम

- पी एम एस में XIxs फाईल अपलोड सपोर्ट : पी एम एस, एम एस ऑफिस 2007 में फाईल के अनुरूप बनाया गया है जिसे XIxs फाईल में अपलोड की जा सकती है।
- पे–रोल प्रोसेस ट्रैक (सुरक्षा कारणों के लिए) : पे – रोल को देखा जा सकता है तथा इसे चैक किया जा सकता है किसने किसी खास बैच का वेतन बनाया है।
- आयकर रिपोर्ट : चालू महीने तक आयकर की कटौती के संबंध में किसी संस्थान के सभी कर्मचारियों की रिपोर्ट ली जा सकती है।
- जी पी एफ रिपोर्ट : किसी महीने में प्रतिपूर्ति सहित किसी संस्थान के सभी कर्मचारियों की जी पी एफ फण्ड अंशदान की रिपोर्ट ली जा सकती है।
- जी पी एफ किश्तें : जी पी एफ की किश्तों को पे –रोल में जोड़ा जा सकता है तथा इसे और पे–स्लिप तथा पे–बिल में प्रदर्शित किया जाता है।

वित्तीय लेखा पद्धति

- बजट पुन: आबंटन में बहुत समय लगता था और प्रविष्ठियां उचित रूप से नहीं हो पाती थी : बजट पुन: निर्धारण में अधिक समय इसलिए लगता था क्योंकि सभी बजटों का आवंटन करने के उपरांत ही बचत दिखाई जा सकती थी। अब बजट निर्धारण किसी भी समय दिखाया जा सकता है और कुछ समय के पश्चात उसी बिंदु से पुन: आरंभ किया जा सकता है।
- उद्यम कार्य वर्गीकरण : टास्क सूची का वर्गीकरण करने के कई विकल्प मौजूद हैं।
- भुगतान एवं प्राप्ति रिपोर्ट : प्राप्ति एवं भुगतान रिपोर्ट का प्रारूप बदलकर एफ ए एस में जोड़ा गया है।
- एक संस्थान का बजट आवंटित करने के उपरांत अन्य संस्थानों की बजट रिपोर्ट पर कार्य : सभी संस्थानों की बजट मांग प्राप्त होने पर ही बजट आवंटन किया जा सकता था। अब दूसरे संस्थान की बजट मांग का इंतजार किए बिना ही बजट आवंटित किया जा सकता है।
- सभी ब्रोशर्स को पुन: अभिकल्पित करने का मापदण्ड : सभी ब्रोशर्स को पुन: अभिकल्पित किया गया है और मापदण्ड बदले गए हैं ताकि अधिकतम ब्रोशर्स एक पेज में ही आ सकें।

5.1.4 भा.वा.अ.शि.प. सर्वर फार्म (डाटा केंद्र)

भा.वा.अ.शि.प. का सर्वर फार्म आई. एफ. आर. आई. एस. अनुप्रयोग और अन्य संबद्ध मुख्य सेवाओं को संयोजित कर रहा है जैसे :

- संदेश सेवा
- वेब सेवा
- डाटाबेस सेवा
- प्राक्सी सेवा
- डी एन एस सेवा
- डी एच सी पी सेवा

- एफ टी पी सेवा
- बैकअप सेवा
- इंटरनेट सेवा
- एम पी एल एस – वी पी एन सेवा
- वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग
- एंटीवायरस सेवा
- हेल्प डेस्क सेवा
- सी ए ई एम एस

इन सेवाओं को सेवाप्रदाता बी एस एन एल के साथ एम पी एल एस – वी पी एन द्वारा क्षेत्रीय संस्थानों में उपलब्ध कराया जा रहा है। विभिन्न संस्थानों को 1 अप्रैल 2011 से 31 मार्च 2012 तक एम पी एल एस लिंक की उपलब्धता इस प्रकार रही :

क्र. सं.	संस्थान	एम पी एल एस उपलब्धता (% में)
1.	भा.वा.अ.शि.प., देहरादून	99.37
2.	शु.व.अ.सं., जोधपुर	92.88
3.	का.वि.प्रौ.सं., बंगलौर	98.33
4.	उ.व.अ.सं., जबलपुर	92.21
5.	व.आ.वृ.प्र.सं., कोयम्बटूर	98.83
6.	व.व.अ.सं, जोरहाट	96.06
7.	हि.व.अ.सं., शिमला	95.91
8.	व.उ.सं., रांची	81.74
9.	वन विज्ञान भवन, दिल्ली	92.09
10.	व.अ.म.सं.वि.के., छिंदवाड़ा	76.78
11.	व.अ.कें, हैदराबाद	91.53
12.	सा.वा.पा.पु.के., इलाहाबाद	94.04

भा.वा.अ.शि.प. मेल सेवा द्वारा भा.वा.अ.शि.प. तथा व.अ.स. के सभी कर्मियों और अन्य संस्थानों को इंटरनेट तथा इंटरनेट मेल सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। मेल सर्वर, एच पी ब्लेड सर्वर के साथ, उच्च उपलब्धता के लिए सक्रिय–निष्क्रिय कलस्टर्ड पर्यावरण पर क्रियाशील हैं। मेल सेवाएं, आई बी एम लोटस डोमिनो 8.0 प्लेटफार्म पर जारी हैं और भा.वा.अ.शि.प. तथा व.अ.स. तथा सभी एम पी एल एस संस्थानों के साथ–साथ 1408 से अधिक उपभोक्ताओं को डोमिनो वेब एक्सिस तथा लोटस नोट्स मुहैया करा रही हैं। सभी संदेश डाटा को केंद्रीयकृत एस ए एन भण्डारण में संग्रहित किया जा रहा है।

1 अप्रैल 2011 से 31 मार्च 2012 तक ई–मेल एकाउंट स्थिति

कुल सृजित मेल आई डी	अयोग्य मेल आई डी	हटाई गई मेल आई डी	सृजित समूह
87	22	31	14

1 अप्रैल 2011 से 31 मार्च 2012 तक ई–मेल आदान–प्रदान

क्र.सं.	माह	मेल
1.	अप्रैल – 2011	34104
2.	मई –2011	36899
3.	जून 2011	40603
4.	जुलाई 2011	76613
5.	अगस्त 2011	43195
6.	सितम्बर 2011	45556
7.	अक्टूबर 2011	45591
8.	नवम्बर 2011	52606
9.	दिसम्बर 2011	54345
10.	जनवरी 2012	50610
11.	फरवरी 2012	43920
12.	मार्च 2012	41654
	कुल	**565696**

भा.वा.अ.शि.प. की वेबसाइट को हिन्दी में विकसित करने के साथ–साथ इसे निरंतर मॉनीटर किया जा रहा है और डायनामिक होम पेज के साथ जिसमें भा.वा.अ.शि.प तथा इसके संस्थानों की वर्तमान और विशिष्ट सूचनाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं, उच्चीकृत किया जा रहा है।

भा.वा.अ.शि.प. वेब सर्वर में विभिन्न सूचनाओं का समावेश

http://www.icfre.org	http://www.icfre.gov.in
http://hindi.icfre.org	http://hindi.icfre.gov.in
http://afri.icfre.org	http://afri.icfre.gov.in
http://frc.icfre.org	http://frc.icfre.gov.in
http://ifgtb.icfre.org	http://ifgtb.icfre.gov.in
http://iwst.icfre.org	http://iwst.icfre.gov.in
http://tfri.icfre.org	http://tfri.icfre.gov.in
http://friu.icfre.org	http://friu.icfre.gov.in
http://rfri.icfre.org	http://rfri.icfre.gov.in
http://hfri.icfre.org	http://hfri.icfre.gov.in
http:/cfrhrd.icfre.org	http://cfrhrd.icfre.gov.in
http://ifc2011.icfre.org	http://arproject.icfre.gov.in
http://ify-india.icfre.gov.in	http://ifc-2011.icfre.gov.in
http://slem-cpp.icfre.gov.in	http://ipc2012.icfre.gov.in
http://ipc2012.icfre.org	

आई पी सी के प्रभावी निष्पादन के लिए आंतरिक रूप से भा.वा.अ.शि.प. द्वारा भारतीय पापलर आयोग (आई पी सी 2012) पोर्टल विकसित किया गया है। आई पी सी पोर्टल को आनलाईन पंजीकरण, आनलाईन सार-संग्रह, आनलाईन समीक्षा तथा आनलाईन भुगतान की सुविधा दी गई है।

भा.वा.अ.शि.प. वेबसाइट को निरंतर रूप से अद्यतन किया जा रहा है और 1 अप्रैल 2011 से 31 मार्च 2012 तक किया गया अद्यतन कार्य नीचे तालिका में दिया गया है :

संस्थान	भा.वा.अ.शि.प. वेबसाइट में अपडेट्स की संख्या
भा.वा.अ.शि.प. मुख्यालय	558
व.अ.सं., देहरादून	577
उ.व.अ.सं., जबलपुर	25
का.वि.प्रौ.सं., बंगलौर	45
व.व.अ.सं., जोरहाट	60
व.आ.वृ.प्र.सं., कोयम्बटूर	52
शु.व.अ.सं., जोधपुर	11
व.उ.सं., रांची	14
हि.व.अ.सं., शिमला	18
व.अ.कें, हैदराबाद	06
वन विज्ञान भवन, दिल्ली	02
कुल	**1368**

5.1.5 वीडियो सम्मेलन

- भा.वा.अ.शि.प. में मई 2008 से वीडियो कान्फ्रेंसिंग सेवा शुरू की गई है और अब तक 700 वीडियो कान्फ्रेंसिंग सत्र सफलतापूर्वक पूरे किए जा चुके हैं।
- भा.वा.अ.शि.प. संस्थानों के मध्य वीडियो कान्फ्रेंसिंग सेवाएं एम पी एल एस, वी पी एन टन्नेल द्वारा चलाई जाती हैं।
- पब्लिक नेटवर्क के जरिए, बाह्य भागीदारों के लिए वीडियो कान्फ्रेंसिंग सेवा भी उपलब्ध है।
- भा.वा.अ.शि.प. में वीडियो कान्फ्रेंसिंग कक्ष, उच्च रेज्यूलेशन एन्ड प्वाइंट, प्लाज्मा डिस्प्ले एकक तथा आडिट इनपुट/आउट पुट डिवाइसेस से सुसज्जित हैं, जिनसे वीडियो कान्फ्रेंसिंग के सत्रों में शानदार सुविधा प्राप्त होती है और उपभोक्ता एक-दूसरे को वार्तालाप के दौरान देख और सुन सकते हैं और सामान्य वार्तालाप की भांति बातचीत होती है।

भा.वा.अ.शि.प. में 1 अप्रैल 2011 से 31 मार्च 2012 तक वीडियो कान्फ्रेंसिंग सत्रों की स्थिति इस प्रकार है :

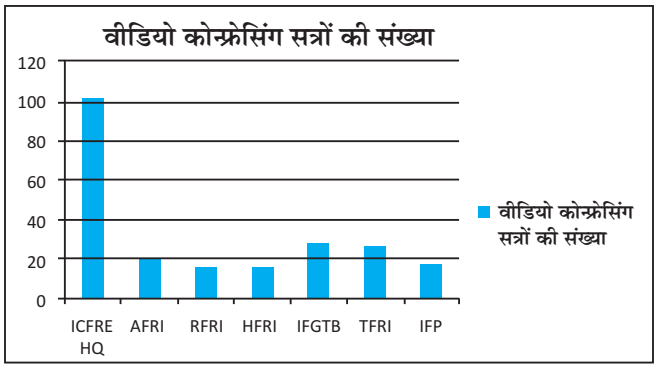

भा.वा.अ.शि.प. सर्वर फार्म द्वारा आई एफ आर आई एस **(इफरिस)** के अनुप्रयोग के लिए बैक एण्ड ओरेकल आर डी बी एम एस डाटाबेस परिपोषित किया जाता है। डाटाबेस सर्वर, इटेनियम सर्वर पर कार्य करते हैं और सर्विस गार्ड कलस्टरिंग फीचर्स के जरिए उच्च उपलब्धता के लिए सक्रिय-निष्क्रिय रूप में संयोजित होते हैं। डाटाबेस सर्वर, केंद्रित (एस ए एन) स्टोरेज से जुड़े होते हैं। भा.वा.अ.शि.प. प्राक्सी सेवा भा.वा.अ.शि.प. /व.अ.सं. के उपभोक्ताओं को सुरक्षित और त्वरित इंटरनेट सेवाएं उपलब्ध करवाती है। प्राक्सी सेवा द्वारा आर एच ई एल 5.3 प्लेटफार्म पर रेड हैट स्क्वीड प्रॉक्सी सेवाओं का उपयोग किया जाता है। स्पष्ट विषयों को पहुंच से बचाने के लिए की-बोर्ड एवं यू आर एल फिल्टरिंग के अनुसार कई नियमों और पहुंच सूचियों को परिभाषित किया जाता है। स्क्वीड रिपोर्ट जेनरेटर के द्वारा एक्सेस लॉग्ज की व्यापक रिपोर्ट अनुरक्षित की जा रही है।

वास्तुशिल्पीय अभिकल्प के आधार पर पोषित की गई सेवा की किस्में तथा भा.वा.अ.शि.प. डाटा केंद्र के लिए नियोजित मॉनीटरिंग पद्धति को भा.वा.अ.शि.प. डाटा बेस आई एस ओ 27001-2005 प्रमाणीकृत डाटा केंद्र तथा सर्विस स्टेशन स्वीकृत किया गया है।

आई टी प्रभाग द्वारा सॉफ्टवेयर इंटरनेट सेवाएं देने के लिए उपभोक्ताओं के अनुरोध पर हार्डवेयर, अपनी संरचना का सर्विस

डेस्क (24 × 7) तथा आई एफ आर आई एस इफरिस सेवा (9 × 5) का प्रयोग किया जाता है। 2011–12 में कुल 1216 सेवा अनुरोध प्राप्त हुए।

5.1.6 राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क

भा.वा.अ.शि.प. ने अपने अग्रसक्रिय प्रयासों द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर एन के एन परियोजना के अधीन प्राप्त संयोजकता का अंगीकरण तथा उपयोगिता में अग्रता प्राप्त की है।

शिक्षा पर राष्ट्रीय मिशन की सूचना संचार प्रौद्योगिकी (एन एम ई आई सी टी) परियोजना द्वारा विश्वविद्यालयों के लिए एक जी बी पी एस इंटरनेट लीज्ड लाईन संयोजकता को राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क तैयार करने हेतु बी एस एन एल से व.अ.सं. विश्वविद्यालय के लिए प्राप्त किया गया।

भा.वा.अ.शि.प. प्रबंधन द्वारा किए गए प्रयासों के फलस्वरूप भा.वा.अ.शि.प. के संस्थानों और केंद्रों को एन के एन कार्यक्रमों में शामिल किया गया है। संस्थानों में एन के एन की स्थिति इस प्रकार है :

क्र.स.	संस्थान	एन के एन की स्थिति
1.	भा.वा.अ.शि.प., देहरादून	लिंक फंक्शनल
2.	का.वि.प्रौ.सं, बंगलौर	लिंक फंक्शनल
3.	व.अ.कें, हैदराबाद	लिंक फंक्शनल
4.	व.व.अ.सं., जोरहाट	लिंक फंक्शनल
5.	शु.व.अ.सं., जोधपुर	लिंक फंक्शनल
6.	व.उ.सं., रांची	लिंक फंक्शनल
7.	हि.व.अ.सं., शिमला	लिंक फंक्शनल
8.	सा.वा.पा.पु.कें, इलाहाबाद	लिंक फंक्शनल
9.	व.आ.वृ.प्र.सं., कोयम्बटूर	लिंक फंक्शनल
10.	डब्ल्यू बी सी, विशाखापट्नम	लिंक फंक्शनल
11.	उ.व.अ.सं., जबलपुर	ओ एफ सी टर्मीनेटिड
12.	बां.बें.उ.अ.कें, आईजॉल	कार्य शुरू किया जाना है

भा.वा.अ.शि.प. एन के एन व्यवस्थाओं को एम पी एल एस – वी पी एन के प्रतिस्थापक के रूप में देखता हैं जिनके जरिए यहां वर्णित सेवाओं को भा.वा.अ.शि.प. संस्थानों/केंद्रों/व.अ.सं. विश्वविद्यालय में, देहरादून स्थित **आई एस ओ 27001 : 2005 प्रमाणित डाटा केंद्र** की संयोजकता और वर्तमान एम पी एल एस–वी पी एन व्यवस्थाओं को भा.वा.अ.शि.प. और इसके संस्थानों/केंद्रों और व.अ.सं. विश्वविद्यालय में शीघ्र प्रतिस्थापित किया जा सके।

5.1.7 एन एम ई आई सी टी व्यवस्थाओं के तहत एल ए एन का अद्यतनीकरण तथा विस्तार

एल ए एन संयोजकता को एन एम ई आई सी टी – एन के एन के तहत विश्वविद्यालयों को वास्तविक लागत से 25% पर देने के लिए बी एस एन एल से प्रस्ताव प्राप्त हुआ। व.अ.स. में आई ए एन के उच्चीकरण तथा विस्तार पर सर्वेक्षण के आधार पर 20 से अधिक अवस्थितियों के लिए योजना बनाई जा रही : व.अ.सं. विश्वविद्यालय, वैज्ञानिक हॉस्टल, आगंतुक वैज्ञानिक हॉस्टल, 100 विद्यार्थी हॉस्टल, न्यू फॉरेस्ट हॉस्टल आदि।

5.2 सेवोत्तम

सेर्वोत्तम, आकलन सुधार संरचना है जिसका लक्ष्य नागरिकों को दी जाने वाली सेवा की गुणवत्ता में सुधार करना है। प्रशासनिक सुधारों के लिए जारी किए गए दिशानिर्देशों के आधार पर भा.वा.अ.शि.प. ने सिटीजन चार्टर बनाकर वेबसाइट में लोड किया है जिससे परिषद् और उसके संस्थानों के पब्लिक इंटरफेस में सुधार किया जा सके। परिषद् द्वारा प्रयुक्त सेवोत्तम संरचना का प्रयास भा.वा.अ.शि.प. (मुख्यालय) और उसके संस्थानों में सेवा गुणवत्ता में निरंतर सुधार करना है।

सेवोत्तम संरचना में तीन घटक होते हैं यथा : सिटीजन चार्टर, लोक शिकायत एवं निवारण व्यवस्था तथा सेवा निष्पादन क्षमता। सिटीजन चार्टर को भा.वा.अ.शि.प. की वेबसाइट में अपलोड किया गया है जिसमें तीनों घटकों का वर्णन है।

परिषद् द्वारा विभिन्न तरीकों से नागरिकों और अपने ग्राहकों से सम्पर्क किया जाता है। जब सूचना प्रौद्योगिकी का पक्ष आता है तो इंटरफेस भा.वा.अ.शि.प. वेबसाइटों द्वारा होता है तथा ई–मेल अपनी ई–मेल पद्धति से होता है जिसको संस्था में संस्थापित किया गया है। वेबसाइट तथा ई–मेल पद्धतियों को पूरे वर्ष भर में 24 × 7 आधार पर भा.वा.अ.शि.प. तथा उसके देशभर के विभिन्न संस्थानों में प्रबंधित किया जाता है।

5.2.1 विभाग और उसके अधीनस्थ संघटकों को सूत्रबद्ध करने हेतु चार्टर के संविन्यास हेतु कार्रवाई

भा.वा.अ.शि.प. की वेबसाइट (www.icfre.gov.in) पर सिटीजन चार्टर उपलब्ध है। जनता और ग्राहकों को सूचना देने के

लिए भा.वा.अ.शि.प. का प्रशासन निदेशालय, मुख्यत: वेब आधारित उपकरणों, विभिन्न उपायों से सूचना प्रसारण पर निर्भर करता है जिनमें, आई टी इंटरफेस, सिटीजन चार्टर, नागरिकों को सूचना अधिकार अधिनियम के सीमाक्षेत्र में लाना और संगठनों द्वारा कार्यशालाओं और सेमीनारों का आयोजन करना शामिल है।

भा.वा.अ.शि.प. के अधीनस्थ संघटनों के रूप में उसके क्षेत्रीय संस्थान तथा केंद्र, देशभर में फैले हुए हैं। इन संस्थानों के वेबसाइट, भा.वा.अ.शि.प. के मुख्य वेबसाइट से संयोजित हैं और उसी सर्वर में एकत्रित हैं। भा.वा.अ.शि.प. के समग्र संस्थानों का काम भा.वा.अ.शि.प. से जुड़ा हुआ है इसलिए उपरोक्त सिटीजन चार्टर में जो सूचना मिलती है वह संबंधित संस्थान के साथ-साथ अन्य सभी संस्थानों से संबंध रखती है।

5.2.2 चार्टर को कार्यान्वित करने के लिए की गई कार्रवाई

जैसा कि पहले कहा गया है कि सिटीजन चार्टर भा.वा.अ.शि.प. की वेबसाइट में है। इससे भा.वा.अ.शि.प. का विहंगम दृश्य पारिलक्षित होता है जिसमें इसकी संकल्पना, दर्शन, उद्देश्य, लक्ष्य, क्रियाकलाप, सेवाएं और मानकों का पता चलता है। चार्टर में शिकायत निवारण तंत्र भी है और भा.वा.अ.शि.प. के किसी भी संस्थान से जो लोग अपनी शिकायत दर्ज कराना चाहते हैं, उनकी शिकायत सुनने और उसके निवारण का तंत्र है।

5.2.3 प्रशिक्षण कार्यक्रमों, कार्यशालाओं आदि का विवरण जिन्हें चार्टर के व्यवस्थित कार्यान्वयन के लिए आयोजित किया गया :

सिटीजन चार्टर के मुख्य उद्देश्य में से एक, विभिन्न लोक कार्यकर्ताओं को संगठन के बारे में सूचना मुहैया कराना है। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए भा.वा.अ.शि.प. का जनता के साथ इंटरफेस बढ़ाने के लिए भा.वा.अ.शि.प. तथा उसके संस्थानों द्वारा कई कार्यशालाएं तथा प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए। भा.वा.अ.शि.प. और उसके संस्थानों द्वारा आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों की सूची इस प्रकार है:

- 'आर्ट एण्ड जॉय आफ वुड' पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन तथा प्रदर्शनी का.वि.प्रो.स., बंगलौर में 19 से 22 अक्टूबर 2011 तक आयोजित की गई।
- स्लेम कार्यशाला : शुष्क भूमि क्षेत्रों में वनों की भूमिका पर रेगिस्तानीकरण रोक दिवस पर 17 जून 2011 भा.वा.अ.शि.प., देहरादून में आयोजित की गई।
- वन आनुवंशिकी संसाधन प्रबंधन नेटवर्क (एफ.जी.आर.एम.एन.) पर व.आ.वृ.प्र.सं., कोयम्बटूर में 9 और 10 मार्च 2011 को आयोजित की गई।
- नाशीकीट एवं रोग घटनाएं : वन पारितंत्र में घटनाएं तथा उनका प्रबंधन पर 25 और 26 मई 2011 को हि.व.अ.सं., शिमला में कार्यशाला आयोजित की गई।
- वानस्पतिक पद्धति में ऊर्जा वृहत पर कार्यशाला विनिमय, 9 और 10 जून 2011, उ.व.अ.स., जबलपुर में आयोजित की गई।
- प्रधान मुख्य वन संरक्षक की जे एफ एम कार्यक्रम कार्यान्वयन की समीक्षा बैठक, व.अ.स. (भा.वा.अ.शि.प.), देहरादून में 27 और 28 जून 2011 को आयोजित की गई।
- जलवायु परिवर्तन और कार्बन न्यूनीकरण पर प्रशिक्षण कार्यक्रम, 14 से 18 नवम्बर 2011 को आयोजित किया गया।
- जलवायु परिवर्तन तथा कार्बन न्यूनीकरण पर प्रशिक्षण का नामांकन फार्म, 14 से 18 नवम्बर 2011।
- 'खनित भूमियों का पारितंत्रीय पुनरूद्धार' पर अल्पकालिक प्रशिक्षण कार्यक्रम, 25 से 29 जुलाई 2011 को व.अ.सं. में आयोजित किया गया।
- 'बांस प्रवर्धन, खेती और प्रबंधन – बिहार के किसानों के लिए निरंतर आजीविका का साधन' विषय पर व.उ.सं., रांची 25 से 29 जुलाई 2011 तक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया।
- रोपण स्टॉक सुधार, कृंतक परीक्षण पर विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम, व.अ.वृ.प्र.सं., कोयम्बटूर में 22 अगस्त से 2 सितम्बर 2011 तक।
- व.अ.स., देहरादून में 5 से 9 सितम्बर 2011 तक पांच दिवसीय 'पारिस्थितकीय पुनरूदार प्रशिक्षण'।
- व.अ.वृ.प्र.सं. के वैज्ञानिकों के लिए 18 से 22 अक्टूबर 2011 तक ओपन सोर्स क्वंटम जी आई एस प्रशिक्षण।

- सरकारी क्षेत्र में कार्यरत महिला वैज्ञानिकों तथा प्रौद्योगिविदों के लिए 'जलवायु परिवर्तन तथा कार्बन शमन' पर प्रशिक्षण कार्यक्रम। निमंत्रण पत्र, नामांकन फार्म तथा प्रशिक्षण कार्यक्रम।
- शहरी वानिकी के लिए नवप्रवर्तनकारी तकनीके पर व.अ.वृ.प्र.स. में 1 और 2 मार्च 2012 तक प्रशिक्षण।
- 'जलवायु परिवर्तन तथा कार्बन न्यूनीकरण' पर हिन्दी में महिला वैज्ञानिकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम 6 फरवरी 2012 को प्रारम्भ किया गया।
- वन आनुवंशिकी संसाधनों पर कंट्री रिपोर्ट की तैयारी हेतु 7 और 8 फरवरी 2012 को व.अ.वृ.प्र.स., कोयम्बटूर में कार्यशाला।
- 'वैज्ञानिक ढंग से लाख की खेती' पर व.उ.स., रांची द्वारा 7 से 9 दिसम्बर 2011 तक व.उ.स., रांची में तीन दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया।
- व.उ.स. द्वारा *एनोजीसस एक्यूमिनाटा* में कैडीडेट धन वृक्ष चयन पर 11 जनवरी 2012 को भुवनेश्वर में एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया।
- व.अ.वृ.प्र.स. द्वारा 1 और 2 मार्च 2012 को शहरी वानिकी में, नवीन तकनीकों पर प्रशिक्षण आयोजित किया गया।
- व.उ.स., रांची में 27 फरवरी 2012 को 'लाख की खेती द्वारा ग्रामीण जीविकोपार्जन में सुधार' पर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया।
- व.उ.स., रांची द्वारा भारत में वन किस्मों का पुन:निर्धारण परियोजना के तहत वनस्पति संग्रहालय की तैयारी पर एक दिवसीय प्रशिक्षण का आयोजन किया गया।
- व.अ.वृ.प्र.स. द्वारा 21 और 22 मार्च 2012 को वन स्वास्थ्य प्रबंधन पर राष्ट्रीय सेमीनार का आयोजन किया गया।
- असम वन स्कूल, गुवाहाटी के 61वें बैच के फॉरेस्टर प्रशिक्षणार्थियों ने 26 मार्च 2012 को व.व.अ.स., जोरहाट का दौरा किया।

5.3 कल्याणकारी उपाय

सचिव, भा.वा.अ.शि.प. के आदेश सं. 63-37/2010-ICFRE दिनांक 23 फरवरी 2011 के तहत भा.वा.अ.शि.प. (मुख्यालय) में अनुसूचित जाति/जनजाति/पिछड़ा वर्ग के कर्मचारियों के लिए शिकायत निवारण प्रकोष्ठ की स्थापना की गई। अनुसूचित जाति/जनजाति/पिछड़ा वर्ग के लिए उप महानिदेशक (शिक्षा), मुख्य सम्पर्क अधिकारी के रूप में काम करेंगे। शिकायत निवारण प्रकोष्ठ द्वारा आयोजित बैठकों और कल्याणकारी उपायों के संदर्भ में आयोजित किये जाने वाले प्रशिक्षण के लिए कार्यक्रमों की सूची इस प्रकार है :

- अप्रैल से जून की तिमाही में 15 जून 2011 को उप महानिदेशक (शिक्षा) के कक्ष में भा.वा.अ.शि.प. (मुख्यालय) में शिकायत निवारण प्रकोष्ठ की बैठक आयोजित की गई।
- जुलाई से सितम्बर की तिमाही के लिए तिमाही बैठक 29 सितम्बर 2011 को उप महानिदेशक (शिक्षा) के कक्ष में भा.वा.अ.शि.प. के शिकायत निवारण प्रकोष्ठ की बैठक आयोजित की गई।
- अक्टूबर से दिसम्बर की तिमाही के लिए तिमाही बैठक 28 दिसम्बर 2011 को उप महानिदेशक (शिक्षा) के कक्ष में भा.वा.अ.शि.प. (मुख्यालय) के शिकायत निवारण प्रकोष्ठ की बैठक आयोजित की गई।
- जनवरी से मार्च की तिमाही के लिए तिमाही बैठक 29 मार्च 2012 को उप महानिदेशक (शिक्षा) के कक्ष में भा.वा.अ.शि.प. (मुख्यालय) के शिकायत निवारण प्रकोष्ठ की बैठक आयोजित की गई।
- 'आरक्षण नीति' पर 7 जून 2011 को व.अ.सं., देहरादून के वैज्ञानिक हॉस्टल के सम्मेलन कक्ष में भा.वा.अ.शि.प. (मुख्यालय) तथा व.अ.सं. के अधिकारियों/कार्मिकों के लिए एक दिवसीय प्रशिक्षण का आयोजन किया गया।
- 'आरक्षण नीति' पर 27 और 28 मार्च 2012 को व.अ.सं., देहरादून के वैज्ञानिक हॉस्टल के सम्मेलन कक्ष में भा.वा.अ.शि.प. तथा व.अ.सं. के अधिकारियों/कार्मिकों के लिए एक दिवसीय प्रशिक्षण का आयोजन किया गया।